**कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, बरेली।**

पत्रांकः–बीआर/जनसूचना–122/2014– 7259 दिनांक 12 अगस्त, 2014

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी(प्र0)
बरेली।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–2360(21) दिनांक 22.07.14 का संदर्भ ग्रहण करे जो दिनांक 31.07.14 को कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें पत्र संख्या–2310(1) दिनांक 14.07.14 का उल्लेख करते हुये सूचना मॉगी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपका पत्र सं0–2310(1) दिनांक 14.07.14 इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है, तथा पत्र संख्या–2360(21) दिनांक 22.07.14 में उल्लिखित बिन्दुओ से सम्बन्धित मॉगी गयी सूचना निम्नवत् है।

**1–विभाग का परिचय, विभाग में संचालित योजनाओ का संक्षिप्त विवरणः**–उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम बरेली क्षेत्र का गठन दिनांक 22.08.1947 को तत्कालीन राजकीय रोडवेज में रूहेलखण्ड व कुमायूँ कमिश्नरी के जिलो को सम्मिलित करते हुये किया गया था। कुमायूँ (उत्तराखण्ड) एवं हरदोई क्षेत्र के सृजन के उपरान्त बरेली क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में बरेली, बदायूँ, पीलीभीत जनपद सम्मिलित है। बरेली नेशनल हाईवे नं0–24 पर स्थित है। यह हाईवे लखनऊ से दिल्ली को जोड़ता है। इस कारण लखनऊ, दिल्ली से जुड़े समस्त जनपद इस मार्ग से लाभान्वित होते है। परिवहन निगम यात्रियो को बस सुविधा उपलब्ध कराता है। बरेली से पांच मुख्य मार्ग रामपुर, बदायूँ, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी तथा उससे सम्बन्धित मार्ग की ओर बसे संचालित की जाती है। निगम यात्रियों की यात्रा सुविधा हेतु बरेली क्षेत्र के समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गो पर बसों का संचालन किया जाता है। वर्तमान में विभाग की योजना है कि सभी सेवाओ को जी0पी0आर0एस0 से जोड़ दिया जाये ताकि यात्रियो के परिजन अथवा निगम के अधिकारी सही जानकारी प्राप्त कर सकें। बसो में आन–लाईन बुकिंग करा सके। इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बरेली जनपद की तहसील बहेड़ी में बस स्टेशन के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

40(2)
DIO (MIC)

**2–आर0टी0आई0 से सम्बन्धित बिन्दुवार सूचना (संलग्न परिपत्र के अनुसार):–**

1–निगम का मुख्य कार्य यात्रियों को बस सुविधा उपलब्ध कराना है।

2–निगम के संचालन शाखा के कर्मचारियो का कार्य यात्रियो को बस सुविधा उपलब्ध कराना तथा कार्यशाला शाखा के कर्मचारियो का कार्य बसों की मरम्मत कर उन्हे सही समय पर प्रस्थान हेतु उपलब्ध कराना है। अधिकारियो का कार्य संचालन व कार्यशाला की व्यवस्था देखना तथा समस्याओ का निराकरण कर सुव्यवस्थित संचालन चलाना है।

3–संचालन व कार्यशाला शाखा के कार्यो का पर्यवेक्षण क्रमशः केन्द्र प्रभारी/फोरमैन द्वारा किया जाता है। जो कर्मचारी कार्य में लापरवाही वरतते है उनकी रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो/सेवा प्रबन्धक को भेजी जाती है जो सेवा नियमावली में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही करते है।

4–प्रत्येक कार्य के लिये कार्य की महत्ता को देखते हुये अलग–अलग मानक निर्धारित है।

5–कर्तव्यो के निर्वहन हेतु अधिकारी सेवा विनियमावली–1998 व कर्मचारी सेवा विनियमावली–1981 प्रख्यापित है।

6–विभाग द्वारा बसो से होने वाली आय–व्यय व कर्मचारियो के सेवा अभिलेखो आदि का पूर्ण विवरण रखा जाता है।
7–क्षेत्रीय स्तर पर नही है।
8–क्षेत्रीय स्तर पर नही है।

9–बरेली में निम्न अधिकारी तैनात है।

| | | |
|---|---|---|
| ''क'' श्रेणी– | क्षेत्रीय प्रबन्धक– | 01 |
| | सेवा प्रबन्धक– | 01 |
| ''ख'' श्रेणी– | सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक– | 05 |
| | सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी– | 01 |
| | सहायक विधि अधिकारी– | 01 |

शेष समूह ''ग'' व ''घ'' के कर्मचारियो की संख्या–845 है।
10–क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर के अधिकारी वेतनमान रू0 15600–67000 के विभिन्न वेतन कम में 6600/6700/8700 पे–ग्रेड पा रहे है तथा सहायक विधि अधिकारी व सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी रू0 9300–34800 वेतन कम में न्यूनतम 5400 पे–ग्रेड पा रहे है। समूह ''ग'' के परिवेक्षकीय संवर्ग के कर्मचारी रू0 9300–34800 विभिन्न वेतन कम में 1800/1900/2000/2400/2800/4200/4600 पे–ग्रेड पा रहे है। अन्य कर्मचारी रू0 5200–20400 के वेतन कम में पदानुसार पे–ग्रेड पा रहे है।
11–क्षेत्रीय स्तर पर नही है।
12–क्षेत्रीय स्तर पर नही है।
13–उ0प्र0 परिवहन निगम की वाहनो में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानी, राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्ति, सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार, माननीय सांसद/माननीय विधायक/माननीय भू0पू0 सांसद/माननीय भू0पू0 विधायक तथा बीरता पुरस्कार प्राप्त जिनमें परमबीर चक, अशोक चक, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, परम विशिष्ट सेवा मैडल, महाबीर चक, कीर्ति चक, उत्तम युद्ध सेवा मैडल, अति विशिष्ट सेवा मैडल, बीर चक, शौर्य चक, युद्ध सेवा मैडल, सेना मैडल, विशिष्ट सेवा मैडल, मेन्सन इन डिस्पैचेज, चीफ आफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड को निःशुल्य यात्रा सुविधा अनुमन्य है।
14–बसो से प्राप्त होने वाली आय का पूर्ण विवरण कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाता है।
15–जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 में निर्धारित नियमो के अन्तर्गत उपलब्ध है।
16–श्री एस0के0 शर्मा, क्षेत्रीय प्रबन्धक
17–शून्य।

**3–समस्त विभागीय योजनाओ की अध्यतन प्रगतिः**–आई0टी0एम0एस0 के द्वारा स्टेशन बुकिंग, जी0पी0आर0एस0, इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन दुर्घटना विवेचना, चालक द्वारा गलत रूप से वाहन चलाने की त्वरित सूचना आदि इत्यादि की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। बहेड़ी बस स्टेशन का निर्माण प्रगति पर है।

**भवदीय,**

**क्षेत्रीय प्रबन्धक**
**बरेली**